संख्या- 104/2015/51/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(बी-2)

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 30 अप्रैल, 2015

विषय- जनपद आगरा में जिला कारागार एवं जनपद न्यायालय में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति/वित्तीय अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 531/नम-2, दिनांक- 9 जनवरी,2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा में जिला कारागार एवं जनपद न्यायालय में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या- 1575/22-4-12-119(ब)/2000टीसी-8, दिनांक 23.08.2013 द्वारा रू0 41.24 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी। मूल स्वीकृति लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 41.24 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन को व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 86.89 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया है।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद आगरा में जिला कारागार एवं जनपद न्यायालय में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन, जिसकी लागत रू0 86,89,000/-(रूपया छियासी लाख नवासी हजार मात्र) है, की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) पुनरीक्षित आगणन में लागत का आकलन प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(4) निर्माण की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार एवं योगफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

3- पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति विवरण शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि परियोजना की अवशेष धनराशि स्वीकृत की जा सके।

4- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन के मूल्यांकन से सम्बन्धित उद्वरण की छाया प्रति संलग्न है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 104/2015/51(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, आगरा।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in